

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी  
बडीसादडी जि. पिलाई

2022/133

अज अदालत

6/5/22

नं.मा.

2022/133

किस्म मुकदमा

128 R.C.A.P.

94/2022 सं.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही का परिचय/विवरण	नम्बर व नारीण्ड अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/5/22	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>पिलाई</u>..... ग्राम.....<u>पिलाई</u>.....की आ.न. 334, 335, 428, 430, 431, 516 <u>रहस्य</u> की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीशनरी फिस रुपये 2500/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: center;">[Signature] उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p>	58

